रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2013/वैशाख 20, 1935
No. 224] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2013/VAISAKHA 20, 1935

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2013

सा.का.नि. 298(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक भर्ती नियम, 2009 को, जहां तक वह महानिदेशक पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, में महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, महानिदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान :-** पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उनसे संबंधित वेतनमान उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 व स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं, आदि –** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 व स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट है।

.4निरर्हता: वह व्यक्ति –

जीवित हैक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नीजिसने ऐसे व्य (क) , विवाह किया है; या

क्ति से विवाह किया है के जीवित रहते हुए किसी व्यजिसने अपने पति या अपनी पत्नी (ख) ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
महानिदेशक	**1* *(2013)** कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण	80,000 रू. (नियत)	चयन	53 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थिओं से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी भूविज्ञान में मास्टर डिग्री या भूविज्ञान अथवा समेकित विज्ञान में मास्टर डिग्री या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में मास्टर डिग्री या प्रोद्योगिकी (भू-गवेषण) की मास्टर डिग्री या प्रोद्योगिकी (इन्जीनियरी भूविज्ञान) की मास्टर डिग्री या समुद्री भूविज्ञान में मास्टर डिग्री या पृथ्वी विज्ञान और संसाधन प्रबंधन विज्ञान में मास्टर डिग्री या सागरीय और तटीय क्षेत्र अध्ययन विज्ञान में मास्टर डिग्री या पेट्रोलियम भूविज्ञान पाठयक्रम में मास्टर डिग्री या भूरसायन विज्ञान मे मास्टर डिग्री और (ii) उपर्युक्त विनिर्दिष्ट इन क्षेत्रो में अनुसंधान

					(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थिओं के लिए विहित की गई है)	और विकास सहित खनिज गवेषण या भूवैज्ञानिक मानचित्रण या समुद्री भूविज्ञान मे समूह 'क' पद पर कार्य करने का तीस वर्ष का अनुभव जिसमे कम से कम दस वर्ष तक पर्यवेक्षण करने का अनुभव शामिल हो **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में जिसके लिए कारणो को लिखित में अभिलेखित किया गया हो, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में जिसके लिए कारणों को लिखित में अभिलेखित किया गया हो, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
नहीं	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा(अल्पावधि संविदा सहित), दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : उक्त श्रेणी मे दो वर्ष की नियमित सेवा सहित अपर महानिदेशक (भूविज्ञान) जिसके न हो सकने पर अपर महा निदेशक (भूविज्ञान) और उपमहानिदेशक (भूविज्ञान) , दोनो पदों की श्रेणी में संयुक्त रूप से पांच वर्ष की नियमित सेवा जिसमे अपर महानिदेशक	*प्रोन्नति के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :* *1.अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष* *2.सचिव, खान मंत्रालय – सदस्य* *पुष्टि के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति*	अधिकारी को सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

			(भूविज्ञान) की श्रेणी में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा शामिल हो। टिप्पण 1: पुनरीक्षित भर्ती नियम की अधिसूचना की तारीख को ज्येष्ठ उप-महानिदेशक (प्रचालन) और वरिष्ठ उप-महानिदेशक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सेवाएं (अर्थात - भूरसायन, भूभौतिकी और इन्जीनियरी शाखा के अधिकारी) के पदो पर अवधारित अधिकारी विद्यमान भर्ती नियमों में यथावश्यक पात्रता पूरी होने पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पद पर प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए पात्र होगें। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006 वह तारीख	*निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:* *1.सचिव, खान मंत्रालय –अध्यक्ष* *2. सचिव, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय –सदस्य* *3. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय – सदस्य*	

			जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित हुई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा की गई नियमित सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी। **प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्द्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत निकाय के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (I) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों, या (II) मूल काडर या विभाग में श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा धारक अधिकारी जिनका वेतन एच ए जी या समतुल्य में 67,000-79,000रू. रहा हो और, (ख) स्तंभ *7* के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताए और अनुभव रखते हो: **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति के लिए सीधे पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे । उसी प्रकार		

			प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति वाले प्रोन्नति से नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है,साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आायु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4**: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और		

			जहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[Qk- la- 3@2@2012&,e- II]
,l- ch- MkHky] mi&lfpo

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2013

G.S.R. 298(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Mines, the Geological Survey of India, Director General, Group 'A' Post, Recruitment Rules 2009, except as respects things done or omitted to be done before such the supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General in the Ministry of Mines, the Geological Survey of India, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Mines, the Geological Survey of India, Director General, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale—**The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.. —** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in

consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age Limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Director General.	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, non-Ministerial.	Rs. 80,000 (fixed).	Selection.	Not Exceeding 53 years (Relaxable for Government Servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Divison of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi	(I)Master of Science in Geological Science or Master of Science (Technology) Geology or Master of Science in Geology or Integrated Master of Science in Applied Geology or Master of Technology (Geo-Exploration) or Master of Technology (Engineering Geology) or Master of Science (Marine Geology) or Master of Science in Earth Science and Resource Management or Master of Science in Oceanography and Coastal Areas Studies or Master of Science in Petroleum Geosciences course or Master of Science in Geochemistry from a recognised University; and (II) having thirty years' of experience in Group 'A' post in Mineral Exploration or Geological Mapping or Marine Geology including research and development in the fields specified above of which ten years shall be in a supervisory capacity. **Note 1.—** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.—** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if any at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

					Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Niobar Islands or Laksha-dweep)	

Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees.	Periods of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exits, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8.	9.	10.	11.	12.	13.
No.	one Year for direct recruits	by Promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Additional Director General (Geology) with two years regular service in the grade failing which five years combined service in the grades of Additional Director General (Geology) and Deputy Director General (Geology) out of which one year regular service shall be in the grade of Additional Director General (Geology) **Note 1**.- The officers holding the posts of Senior Deputy Director General (Operations) and Senior Deputy Director General (Scientific and Technical Support Services) (i.e., officers belonging to Geo-chemistry, Geo-physics and Engineering streams) as on date of notification of the revised recruitment rules shall be eligible for consideration for promotion to the post of Director General, Geological Survey of India on	**Group 'A' Departmental Promotion Committee, for promotion consisting of :-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission,- Chairman; 2. Secretary, Ministry of Mines- Member. Group 'A' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:- 1. Secretary, Ministry of Mines- Chairman; 2. Secretary, Ministry of Science and Technology-Member ; 3. Secretary, Ministry of Earth Sciences- Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).

			completion of eligi-bility require-ment as in the existing Recruitment Rules. **Note 2:**— Where juniors who have completed their qualifying or eligi-bility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which-ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note 3.—** For the purpose of com-puting minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recom-mendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommenda-tions of the Commission. **Deputation (Including short term contract) :** Officers under the Central Goverment or State Govern-ments or Union Territories or Public Sector Undertakings or recognized re-search institutions or universities or semi-government or statutory or		

			autonomous organization; (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 67000-79000 in HAG or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note 1.—** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.—** [Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 3.—** The maxi-mum age limit for appointment by deputation (includeing short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.]		

			Note 4.— For the purpose of appointment of deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommenddations of the pay commission except where there has been merger or more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F.No. 3/2/2012-M.II]
S.B. DOVAL, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.